EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1759—1761

Dated 23-12-2006

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 309.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (5) और धारा 56 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अधिनियम की धारा 14 के खंड (1) के अधीन पदाभिहित या नियुक्त ऊर्जा प्रबन्धक के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा प्रबन्धकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिकरण'' से ऊर्जा प्रबन्धकों के प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षा संचालित करने के प्रयोजन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''प्रमाणपत्र'' से ऊर्जा प्रबन्धक के प्रमाणीकरण के समर्थन में ब्यूरो या ब्यूरो द्वारा अधिसूचित अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा में सफल घोषित होने पर जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) ''डिप्लोमा इंजीनियर'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड या केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित संस्थान या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्था से इंजीनियरी में डिप्लोमा या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई डिप्लोमा प्राप्त किया है या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अधिकथित की जाएं, इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो;

(ङ) किसी अर्हता के संबंध में ''समतुल्य'' से ऐसी शैक्षिक अर्हताएं अभिप्रेत हैं जो भारत में विधि द्वारा गठित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित परीक्षा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर अर्जित की गई हों;

(च) ''स्नातक इंजीनियर'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित अन्य शैक्षिक संस्थाओं से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य डिग्री प्राप्त की हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए यथा अधिकथित की जाएं, इंजीनियरी में डिग्री प्राप्त की है;

(छ) ''राष्ट्रीय परीक्षा'' से ऊर्जा प्रबन्धकों के प्रमाणीकरण के लिए ब्यूरो या ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा संचालित परीक्षा अभिप्रेत है ।

(ज) ''इंजीनिरी में स्नातकोत्तर'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित शैक्षिक संस्थाओं से इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई डिग्री प्राप्त की हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अधिकथित की जाएं, इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो;

(झ) ''स्नातकोत्तर'' से भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्था के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित शैक्षिक संस्थाओं से कोई स्नातकोत्तर डिग्री या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य डिग्री प्राप्त की हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अधिकथित की जाएं, इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियम में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ हैं जो क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. ऊर्जा प्रबन्धकों के प्रमाणीकरण की अर्हता :–

(1) कोई व्यक्ति प्रमाणित ऊर्जा प्रबन्धक होने के लिए अर्हक होगा, यदि उसने–

(i) ब्यूरो के तत्वाधान में आयोजित ऊर्जा प्रबन्धक या ऊर्जा संपरीक्षक के लिए राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है; और

(ii) उसको ब्यूरो द्वारा इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

(2) कोई अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह–

(क) प्रचालन, रखरखाव, योजना इत्यादि में ऊर्जा के प्रयोग में तीन वर्ष के कार्य अनुभव सहित स्नातक इंजीनियर या समतुल्य न हो,

(ख) प्रचालन, रखरखाव, योजना इत्यादि में ऊर्जा के प्रयोग में दो वर्ष के कार्य अनुभव सहित स्नातकोत्तर इंजीनियर या समतुल्य न हो,

(ग) प्रचालन, रखरखाव, योजना उत्पादन में ऊर्जा के प्रयोग में दो वर्ष के कार्य अनुभव सहित प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री सहित स्नातक इंजीनियर न हो,

(घ) प्रचालन, रखरखाव, योजना इत्यादि में ऊर्जा के प्रयोग में छह वर्ष के कार्य अनुभव सहित डिप्लोमा इंजीनियर या समतुल्य न हो,

(ङ) प्रचालन, रखरखाव, योजना इत्यादि में ऊर्जा के प्रयोग में तीन वर्ष के कार्य अनुभव सहित भौतिक विज्ञान या इलैक्ट्रानिकस या रसायन (स्नातक स्तर पर भौतिकी और गणित सहित) स्नातकोत्तर डिग्री न रखता हो,

(3) राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सफल घोषित होने पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए योग्य होगा ।

(4) इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व ब्यूरो द्वारा ऊर्जा प्रबन्धक या ऊर्जा संपरीक्षक के प्रमाणीकरण के लिए आयोजित किसी राष्ट्रीय परीक्षा को इन नियमों के अधीन आयोजित हुई समझा जाएगा ।

[फा. सं. 13/4/2005-ईएम]

यू. एन. पौंजियार, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2006

G.S.R. 309.—In exercise of the powers conferred by clause (m) of Section 14 and sub-section (2) of Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following rules to prescribe minimum qualification for energy managers designated or appointed under clause (1) of Section 14 of the Act, namely :—

1. **Short title and Commencement.**— (i) These rules may be called the Energy Conservation (Minimum Qualification for Energy Managers) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise required,

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) "agency" means an agency appointed by the Bureau for the purpose of holding National Examination for certification of energy managers;

(c) "certificate" means the certificate issued, on being declared successful in the National Examination, by the Bureau or the agency notified by the Bureau in support of certification of energy manager;

(d) "diploma Engineer" means a person who has obtained a diploma in Engineering from a University or Board or Institution incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or any diploma recognized by All India Council for Technical Education as equivalent or has obtained a diploma in Engineering from such foreign University or College or Institution recognized by the Central Government, and under such conditions as may be laid down for the purpose, from time to time;

(e) "equivalent" in relation to any qualification means educational qualifications acquired by passing an examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognized by the Central Government or State Governments or All India Council for Technical Education as equivalent thereto;

(f) "graduate Engineer" means a person who has obtained a graduation degree in Engineering from an University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or any degree recognized by All India Council for Technical Education as equivalent or has obtained a graduation degree in Engineering from such foreign University or College or Institution recognized by the Central Government, and under such conditions as may be laid down for the purpose, from time to time;

(g) "National Examination" means the examination conducted by the Bureau or the agency appointed by the Bureau for certification of energy managers;

(h) "post-graduate in Engineering" means a person who has obtained a post-graduate degree in Engineering from an University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or any degree recognized by All India Council for Technical Education as equivalent or has obtained a post-graduate degree in Engineering from such foreign University or College or Institution recognized by the Central Government, and under such conditions as may be laid down for the purpose, from time to time;

(i) "post-graduate" means a post-graduate of an University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or any degree recognized by All India Council for Technical Education as equivalent or has obtained a post-graduate degree in Engineering from such foreign University or College or Institution recognized by the Central Government, and under such conditions as may be laid down for the purpose, from time to time.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Qualification of Certified Energy Managers.—(1) A person shall be qualified to become a certified energy manager, if he—

(i) has passed the National Examination for energy manager or energy auditor held under the aegis of the Bureau; and

(ii) has been issued a certificate by the Bureau to that effect.

(2) No candidate shall be eligible for appearing in the National Examination unless he is—

(a) a graduate Engineer or equivalent with **three years** of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, etc. ; or

(b) a post-graduate Engineer or equivalent with **two years** of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, etc.; or

(c) a graduate Engineer with post-graduate degree in Management or equivalent with **two years** of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, etc.; or

(d) a diploma Engineer or equivalent with **six years** of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, etc.; or

(e) a post-graduate in Physics or Electronics or Chemistry (with Physics and Mathematics at graduation level) with **three years** of work experience involving use of energy in operation, maintenance, planning, etc.

(3) A candidate appearing in the National Examination shall be eligible for award of certificate on being declared successful in the said examination.

(4) Any National Examination for certification of energy managers or energy auditors held by the Bureau prior to the notification of these rules shall be deemed to have been conducted under these rules.

[F. No. 13/4/2005-EM]

U. N. PANJIAR, Addl. Secy.

MGIPRRND—3954 Power/06—200